झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (गव्य विकास)

कार्यालय जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गढ़वा।

अति आवश्यक सूचना

वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत् जिन लाभुकों को दो/पांच/दस दुधारू गाय के लिए चयन किया गया है, उनके खाते में **DBT** के माध्यम से योजनानुसार प्रथम चरण की सरकारी अनुदान राशि स्थानान्तरित किया गया है। दो गाय की योजना हेतु रू0 34075, पांच गाय की योजना हेतु कमशः रू0 50956 एवं0 67,935 एवं दस की योजना हेतु कमशः रू0 85188 एवं 1,13,572

कार्यालय द्वारा बार–बार लाभुकों को दो गाय हेतु प्रथम चरण का लाभुक अंशदान रू0 34,075 एवं पांच गाय योजना के लाभुकों का प्रथम चरण का लाभुक अंशदान या बैंक ऋण रू0 1,52,869 या रू0135,890 तथा दस गाय की योजना के लाभुकों को प्रथम चरण की अनुदान राशि 2,55,562 या रू0 2,27,178 जमा करने हेतु सूचना दिया गया है, लेकिन आज तक किसी लाभुक के द्वारा अपने बचत खाता में उपरोक्त प्रथम चरण की अंशदान/बैंक ऋण की राशि जमा नहीं की गई है।

अतः अनुरोध है कि योजना के लाभ लेने हेतु लाभुको के प्रथम चरण की राशि या अंशदान राशि या बैंक ऋण की राशि अपने अपने बचत खाता में 15 दिनों के अंदर जमा कराकर जिला गव्य विकास कार्यालय, गढ़वा को सूचित करें ताकि योजना का कियान्वयन समय पर किया जा सके। यदि वैसे लाभुक जो प्रथम चरण की लाभुक अंशदान की राशि/बैंक ऋण की राशि अपने अपने बचत खाते में जमा नहीं करते हैं उनके स्थान पर प्रतिक्षा सूचि के लाभुकों को मौका देते हुए लाभुकों का उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण की अनुदान राशि भी स्थानांतरित कर दी जायेगी।

इसे अति आवश्यक समझा जाय।

23.07.2021

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
गढ़वा।

❖ **दो गज की दूरी मास्क एवं हाथ धोना है जरूरी।**